तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
09.12.2021	पत्रावली वास्ते आदेश स्थगन पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील अपीलाण्ट का तर्क रहा है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 14 रकबा 11 एयर, खसरा नम्बर 15 रकबा 01 एयर किता 2 रकबा 0.12 है0 वाके ग्राम विरहठा तहसील बयाना की खातेदारी प्रार्थी अपीलाण्ट के नाम है। जहॉ तक विवादित आराजी पर कब्जे का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय ने विपरीत फाईन्डिग दी है। आराजी को कोई भी काश्त करे कब्जा खातेदार का ही माना जाता है। पटवारी एवं भू अभिलेख अधिकारियों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि खातेदारो के खिलाफ किसी अन्य का कब्जा बताया जा सकता है एवं ना ही वर्तमान राजस्व रिकार्ड में शिकमी दर्ज होते है। अपीलाण्ट का ही विवादित आराजी पर कब्जा है केवल अधिक व्यस्त होने के कारण प्रार्थी ने खेत की देखभाल करने के लिये गिर्राज, रामधन प्रतिनिधि नियुक्त कर रखा है। खेती की देखभाल करने पर उनको अतिक्रमी नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति अपीलाण्ट के पक्ष में सिद्ध होती है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते हुये अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की पालना ताफैसला अपील स्थगित रखी जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरडी 1988 पेज 641, 1984 पेज 492, आरबीजे 1997 पेज 503, 2011 पेज 387 का उद्धरण पेश किया। रैस्पो0 के अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। रैस्पो0 का विवादित आराजी पर दिनांक 13.07.1981 से कब्जा काश्त है एवं बैठक हेतु एक कमरे का निर्माण कर रखा है। अपीलाण्ट का विवादित आराजी से कोई संबंध सारोकार नहीं है। विवादित आराजी को रैस्पो0 ने दिनांक 13.07.1981 को दीगर खसरा नम्बरान के साथ 6000/– रूपये में सूखा पुत्र रामहेत जाटव निवासी कुन्देर तहसील रूपवास से खरीद किया था एंव दाखिल खारिज संख्या 208 दिनांक 11.09.1981 के तहत रैस्पो0 का अमल राजस्व रिकार्ड में हो गया। परन्तु दौराने सैटलमेन्ट पूर्व खातेदार सूखा पुत्र रामहेत का इन्द्राज सैटलमेन्ट कर्मचारियो की सहवन से हो गया। इस पर अपीलाण्ट व सूखा पुत्र रामहेत ने आपस में साज कर विवादित आराजी का एक फर्जी व कूटररित वयनामा तैयार करवा लिया। माननीय सिविल न्यायाधीश बयाना में गोपीचन्द बनाम बहादुर कैन्सिलेशन सैलडीड तारीखी दिनांक 27.09.1997 मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया। अस्थाई निषेधाज्ञा रैस्पो0 के पक्ष में ता–फैसला वाद पत्र जारी है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन रैस्पो0 के पक्ष में साबित होती है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में फार्म संख्या 03 के साथ तहसीलदार बयाना की मौका कमीश्नर रिपोर्ट, नामान्तकरण संख्या 208, गिलान क्षेत्रफल, जमाबन्दी संवत 2042–45, माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश बयाना के स्थगन आदेश दिनांक 17.04.2017 आदि दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये। हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया एवं प्रस्तुत दस्तावेज एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तहसीलदार बयाना से मौका कमीश्नर रिपोर्ट तलब की गयी है जिसमें तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में रैस्पो0 गोपी का कच्चा मकान बना हुआ व विवादित आराजी की बाउण्ड्रीवाल, कुट्टी मशीन, बोर, मवेशियों की लडावनी, चूल्हा आदि बनाकर रैस्पो0 का सहपरिवार रहना एवं शेष रकबे पर रैस्पो0 के द्वारा सरसो की फसल बोया जाना अंकित किया जाकर, कब्जा भी रैस्पो0 का ही बताया गया है। इसके अलावा यह भी अंकित किया है कि अपीलाण्ट बहादुर को ग्रामवासियों द्वारा कभी भी विवादित आराजी पर आते जाते नहीं देखा। उक्त तथ्यों को तब तक सत्य माना जावेगा, तब तक अपीलाण्ट इसे किसी पुख्ता दस्तावेजी साक्ष्य से असत्य साबित नहीं कर देते। रैस्पो0 द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत माननीय सिविल न्यायालय के आदेश दिनांक 17.04.2017 के अवलोकन से भी स्पष्ट जाहिर है कि माननीय सिविल न्यायालय द्वारा	

विवादित आराजी पर प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन, एवं अपूर्णनीय क्षति रैस्पो0 गोपीचन्द के पक्ष में बनना पाया जाकर, वाद के अन्तिम निस्तारण तक विवादित आराजी को रहन, वय, मुन्तकिल नहीं करने बाबत् आदेश पारित किया है। जिसके विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा सक्षम अपर न्यायालय में चाराजोही की हो, ऐसा भी दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। हम यह भी पाते हैं कि जमाबन्दी संवत 2037 के कॉलम संख्या 17 में गोपीचन्द का नाम अंकित कर क्रास किया हुआ है एवं नामान्तकरण संख्या 208 के कालम संख्या 11 में गोपीचन्द का नाम अंकित है। परन्तु वर्तमान जमाबन्दी 2073–76 में विवादित आराजी पर अपीलाण्ट बहादुर सिंह की खातेदारी में दर्ज है। अपीलांट के नाम जमाबन्दी में किस प्रकार आये। उक्त तथ्य विस्तृत साक्ष्य विवेचना उपरान्त मूल वाद में तय होगा। फिलहाल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तय करते समय हमें केवल प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति को देखा जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति रैस्पो0 के पक्ष में होने से इंकार नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने उचित ही पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की विस्तार से विवेचना की जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें हम किसी प्रकार के हस्तक्षेप योग्य गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं। चूंकि प्रकरण के पूर्ण तथ्य एवं समस्त दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रकट हो चुके हैं। अतः हम अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलव किये जाने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट इसी स्तर पर खारिज योग्य पाते हैं।

अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट इसी स्तर पर खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 09.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले इजलास सुनाया गया।

09/12/2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर